

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(63)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जावे ज
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम न हो।
संबंधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्युल्टी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 336

दिनांक: 10/05/13

98262-63666

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एब.ए.एस.महाविद्यालय अटेंट रोड पोर्ट्सा नुरैना () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.-सी पूर्वाङ्क (कन्व्यूलर साइंस, जन्मविज्ञान, गणित), बी.ए.तृतीय अति.विषय कन्व्यूलर एप्लीकेशन, बी.एस.-सी तृतीय अति.विषय माइक्रोबायोलॉजी पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत नियमानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


1. प्रो. सी.के. शिंदे, आचार्य, रसायन अ.शा., जी.वि.वि., व्हा. (संयोजक)
2. प्रो. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुरातत्व अ.शा., जी.वि.वि., व्हा.
3. प्रो. दीपक जैन, आचार्य, एम.आई.टी.एस. कालिज, ग्वालियर
4. प्रो. यू.एन. दीक्षित, आचार्य, शा. विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये नियमानुसार निरीक्षण समिति द्वाया 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वाया दी जावे गाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता दोबारी कार्यालयी पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निवेशों का पालन सुविधित किया जा सकेगा।


गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर नवीन समिति गठित की जाएगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

*निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शामा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वाया देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)